उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-16/2023/732/एक-1-2023-1-1099/34/2023

लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम 94 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (जिसे "आगे उक्त" नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 94 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
94(1) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन- **(क)** दान अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु;	**94(1)** राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन- **(क)** पूर्त अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु;

और **(ख)** रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्थान या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और **(ग)** उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।	और **(ख)** रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्था या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और **(ग)** उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो।
(2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा:- (क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण); (ख) अर्जन की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा; **(ग) व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे भूमि अर्जन की जानी है;** (घ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि); (ड) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो; (च) अर्जन का प्रयोजन; (छ) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाय;	**(2)** यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा:- (क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण); (ख) अर्जित किये जाने हेतु वांछित सम्पत्ति का ब्यौरा; (ग) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि); (घ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो; (ड) अर्जन का प्रयोजन; (च) कोई अन्य सूचना, जो सुसंगत समझी जाय;
(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि वह इस राय का हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं, तो वह अपेक्षित अनुमति शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।	**(3)** उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं तो वह अपेक्षित अनुमति, शर्तों या प्रतिबंधो के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अन्तर्गत अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगी।	**(4)** यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अधीन अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी।

परिशिष्ट-1 का संशोधन-

उक्त नियमावली में परिशिष्ट-1, में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान प्रविष्टि 13 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-1					**स्तम्भ-2**				
विद्यमान प्रविष्टि					**एतद्द्वारा** प्रतिस्थापित प्रविष्टि				
क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क	क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क
13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	संहिता के नियम 85(2) के उपबन्धों के अनुसार	13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	(उद्घोषणा रद्द करने के लिए आवेदन के संबंध में) क्रम संख्या 14 के समक्ष उचित न्यायालय शुल्क के रूप में उल्लिखित धनराशि

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।